

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

पीठासीन अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, गुड़ामालानी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)
पीठासीन अधिकारी :- श्री प्रमोद कुमार, एसडीएम, गुड़ामालानी

उन्वान :

वादीगण

1. आसूराम पुत्र लालाराम
2. सांवलाराम पुत्र लालाराम
3. हीराराम पुत्र लालाराम
4. गवरी पुत्री लालाराम

जाति जाट निवासी बातों की ढाणी, अरटवाव तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. लालाराम पुत्र भगाराम
2. कुंभा पुत्र भगा
3. शेरा पुत्र भग जाति जाट निवासी बातों की ढाणी
4. अचलाराम पुत्र हरजीराम
5. खंगाराम पुत्र हरजीराम
6. चुतराराम पुत्र हरजीराम
7. पैमाराम पुत्र हरजीराम
8. पूराराम पुत्र हरजीराम जाति जाट निवसी नया महादेव नगर
9. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. शाखा गुड़ामालानी
10. तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

दावा बाबत 88 RTA

मुकदमा नम्बर :-105...../2021

निर्णय दिनांक :-02.12..2021 (केम्प-ग्राम पंचायत मुख्यालय अरटवाव)

वादीगण की ओर से श्री जोगाराम चौधरी अधिवक्ता वादीगण व वादीगण स्वयं की एवं प्रतिवादीगण की ओर से स्वयं प्रतिवादीगण की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 02.12.2021 को श्री प्रमोद कुमार एसडीएम, गुड़ामालानी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

वादग्रस्त आराजी ग्राम अरटवाव के खेत खसरा नम्बर 495, 496 रकबा कमश: 0.0324, 2.4686 हैक्टेयर, ग्राम नया महादेव नगर के खेत खसरा नम्बर 480 रकबा 10.5461 हैक्टेयर एवं ग्राम बातों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 433, 434 रकबा कमश: 0.0162, 16.1712 हैक्टेयर भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 लालाराम पुत्र भगाराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख में आवश्यक सुधार की प्रविष्टियां अमलदरामद करने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना स्वयं वहन करेंगे।

यह आज तारीख 02.12.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(प्रमोद कुमार)

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
गुड़ामालानी
दिनांक : 13/12/2021



क्रमांक: वाचक/2021/905

प्रतिलिपि : वास्ते पालनार्थ।

1. भूमिधारक तहसीलदार, गुड़ामालानी।

(प्रमोद कुमार)

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
गुड़ामालानी